उच्च न्यायालय म.प्र., खंडपीठ, इंदौर
एम.सी.आर.सी. नंबर 34378 / 2020
रतनसिंह विरूद्ध म.प्र.राज्य

इंदौर, दिनांकः— 16 / 09 / 2020

वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा सुनवाई

याचिकाकर्ता द्वारा श्री अपूर्व जोशी अधिवक्ता।

शासन द्वारा श्री विस्मित पनौत लोक अभियोजक।

अपराध कमांक	धारा	आरक्षी केंद्र
384 / 2020	302, 201 भा.दं.वि.	झाबुआ

01— याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिभूति हेतु इस न्यायालय के समक्ष धारा 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह प्रथम आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक— 25.05.2020 को कक्कुबाई की लाश ग्राम टिचकिया में तोलू के खेत में पायी गयी। उसके शरीर पर धारदार हथियारों से पहुंचायी गयी चोट के निशान थे। सूचना दिये जाने पर पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया और जांच के दौरान अमरसिंह, मनीबाई, मुन्ना तथा झीतरा के कथन लेखबद्ध किये। इन कथनों में इन चारों ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी और केवल इतना बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका की हत्या की गयी है। पुलिस द्वारा दिनांक—26.05.2020 को एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की गयी और पुनः उक्त चार साक्षियों के पुलिस कथन धारा 161 दप्रसं के अंतर्गत लेख किये गये। अपने पश्चातवर्ती कथनों में चारों साक्षीगण ने यह शंका जाहिर की कि कनिया और मृतिका कक्कूबाई के मध्य पैसों के लेनदेन का कोई विवाद था, इसलिए शायद उसी ने कक्कूबाई की हत्या की होगी या करवायी होगी। इस जानकारी पर पुलिस ने रत्निया को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, उसने सहअभियुक्त कनिया और रेमसिंह का नाम लेते हुए बताया कि इन दोनों के सहयोग से उसने मृतिका कक्कूबाई की हत्या की थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा उसी दिन अर्थात दिनांक—28.05.2020 याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और उसकी जानकारी के आधार पर घटना के समय उसके द्वारा पहने हुए कपडे, जिन पर कि मृतिका का खून लगा था, उन्हें जब्त किया गया।

03— मामलें का शेष अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

04— उभयपक्ष के तर्क सुने गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

05— याचिकाकर्ता से रक्तरंजित कपडे जब्त किए गये है, परंतु इसके रासायनिक परीक्षण की एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है।

06— समान परिस्थितियों में याचिकाकर्तागण कनिया एवं रेमसिंह को इस न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 30976/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 से जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। याचिकाकर्ता के विरूद्ध एकत्र साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए बिना गुण—दोषों पर टिप्पणी किये याचिका **<u>स्वीकार</u>** की जाती है।

07— याचिकाकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य **30,000/— रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की एक सक्षम प्रतिभूति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किए जाने पर याचिकाकर्ता को अभिरक्षा से मुक्त किया जावेः—

1— याचिकाकर्ता विचारण के दौरान नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और उसमें कोई चूक नहीं करेगा।

2— याचिकाकर्ता अभियोजन साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

3— याचिकाकर्ता पुनः किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने अथवा उपरोक्त शर्तों का उललंघन करने पर, उक्त याचिका में स्वीकार की गई प्रतिभूति निरस्त की जा सकेगी।

(विरेन्दर सिंह)
न्यायाधिपति

रविन्द्र वर्मा

Digitally signed by
SOURABH YADAV
Date: 2020.09.16 16:50:54
+05'30'